न्यूज़ टुडे

विश्व बैंक समूह द्वारा "स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, 2025" रिपोर्ट जारी की गई

रिपोर्ट के अनुसार, **ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग (CP)** साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या **2005 में 5** थी, जो **वर्तमान में बढ़कर 80** हो गई है। **भारत, ब्राजील और तुर्की** इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं।

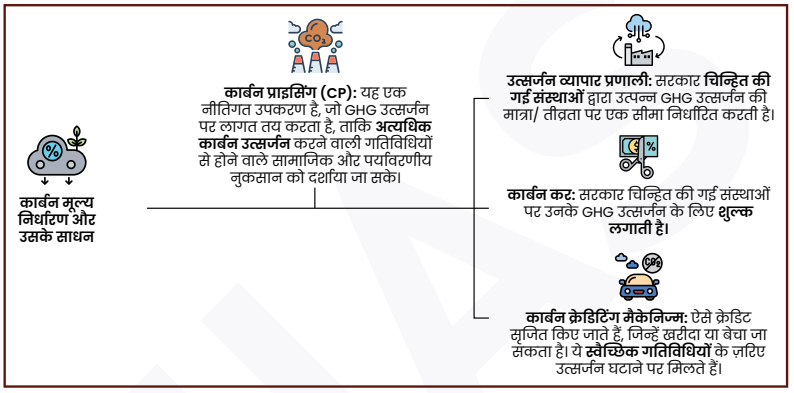

रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कवरेज:** कार्बन प्राइसिंग **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का लगभग 28% कवर** करता है। इसमें **43 कार्बन टैक्स और 37 उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां (ETSs)** शामिल हैं।
- **राजस्व सृजन:** वैश्विक स्तर पर, 2024 में उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स से सार्वजनिक बजट के लिए **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से ज्यादा की कमाई हुई थी।
- **क्षेत्रकवार कवरेज: विद्युत क्षेत्रक** के बाद **उद्योग क्षेत्रक** में सबसे अधिक कवरेज है।
  - **कृषि** और **अपशिष्ट** पर अभी भी काफी हद तक ध्यान **नहीं** दिया गया है।
- **कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बनाम मांग:** वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से ज़्यादा रही, जिसमें लगभग **1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट (unretired credits)** मौजूद थे।

कार्बन प्राइसिंग (CP) के संबंध में प्रमुख प्रावधान

- **वैश्विक:**
  - **पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 (COP-21, UNFCCC):** यह अनुच्छेद सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक** बनाने के लिए आधार प्रदान करता है।
    - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) ने **COP-29 में अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4** के लिए अंतिम नियमों को अपनाया था।
      - COP-29 **अजरबैजान के बाकू** में आयोजित किया गया था।
      - **अनुच्छेद 6.2: सहयोगात्मक उपाय तथा**
      - **अनुच्छेद 6.4: पेरिस समझौते का क्रेडिट तंत्र।**
  - **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM):** यह **आयातित उत्पादों** से होने वाले उत्सर्जन पर सीमा पर **कार्बन मूल्य लागू** करता है। जैसे– **यूरोपीय संघ (EU) का CBAM.**
- **भारत**
  - **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (2023):** यह योजना **दो तरह के तंत्रों** का प्रावधान करती है।
    - **अनुपालन तंत्र:** यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके **कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र (CCSs)** अर्जित करती हैं।
    - **ऑफसेट तंत्र:** यह उन गैर-बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती हैं, जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती हैं तथा जिनके बदले में वे CCCs अर्जित कर सकती हैं।

केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए FRA प्रकोष्ठों (FRA Cells) को मंजूरी दी

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने "**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)**" नामक केंद्रीय योजना के तहत वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए अब तक **324 जिला-स्तरीय FRA प्रकोष्ठों** की स्थापना को मंजूरी दी है।

- इसके अतिरिक्त, विविध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए **राज्य स्तरीय FRA प्रकोष्ठों** को भी मंजूरी दी गई है।

जिला-स्तरीय FRA प्रकोष्ठों (FRA Cells) के बारे में

- **उद्देश्य:** वैधानिक समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप किए बिना, FRA दावों से जुड़ी कागजी कार्रवाई और डेटा प्रबंधन में सहायता करना।
- इन प्रकोष्ठों के संचालन से जुड़े नियम **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)** कार्यक्रम से तय होंगे। तात्पर्य यह है कि ये नियम **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 यानी साधारण रूप से वन अधिकार अधिनियम (FRA) से तय नहीं होंगे।**
  - मुख्य कानून **राज्य सरकारों को वन अधिकार दावों की प्रक्रिया के लिए फ्रेमवर्क बनाने का निर्देश देता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं–**
    - ग्राम सभा वन अधिकार समितियां (FRCs),
    - उप-मंडल स्तरीय समितियां (SDLCs),
    - जिला स्तरीय समितियां (DLCs), और
    - राज्य निगरानी समितियां।

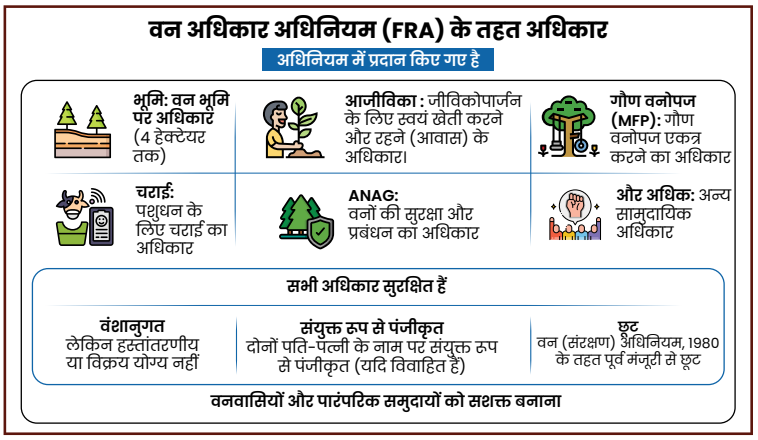

नये प्रकोष्ठों की स्थापना से जुड़ी हुई चिंताएं

- मुख्य कानून के दायरे से बाहर एक "**समानांतर FRA तंत्र**" का निर्माण।
- अधिक समितियां या प्रकोष्ठ जोड़ने से **FRA कार्यान्वयन में संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं** हो सकता।
  - लंबित दावों की अधिकता के मुख्य कारणों में शामिल हैं: उप-मंडल और जिला स्तर की समितियों की **कम बैठकें** होना तथा मंजूर किए गए दावों पर कार्रवाई करने में **वन विभाग द्वारा रुचि नहीं दिखाना।**

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CSS) की निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं (CSSs) पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित और कार्यान्वित की जाती हैं। इनमें **संविधान की संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाएं** शामिल होती हैं।

केंद्र सरकार के मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर:

- **केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA):** प्रत्येक 'केंद्रीय क्षेत्रक योजना' के लिए **संबंधित मंत्रालय या विभाग एक एजेंसी को केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA)** के रूप में नियुक्त करेगा। यह एजेंसी **योजना को कार्यान्वित** करेगी। इन एजेंसियों में **स्वायत्त संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य एजेंसियां** शामिल होंगी।
- **बजट निर्धारण और बचत:** संबंधित मंत्रालयों को अपनी योजनाओं के बजट का यथार्थवादी तरीके से आकलन करना होगा। विशेष रूप से वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक **योजना के तहत किसी भी संभावित बचत या अनुप्रयुक्त राशि की जानकारी** देनी होगी।
  - वित्त वर्ष के अंत तक किसी योजना के तहत **अप्रयुक्त राशि समाप्त (लैप्स) मानी जाएगी** और उसे **अगले वर्ष के आवंटन में नहीं जोड़ा** जा सकेगा।
- **'जस्ट-इन-टाइम' फंड रिलीज़:** फंड केवल आवश्यकता पड़ने पर ही जारी किया जाएगा। साथ ही, **एक बार में अधिकतम 25% फंड ही जारी** किया जाएगा।
  - अगली किश्त तभी जारी की जाएगी जब **पहले दिए गए फंड का 75% उपयोग हो चुका हो** और निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों।

दिशा-निर्देशों का महत्त्व:

- **फंड का प्रभावी उपयोग:** एक बार में केवल 25% फंड जारी करने और इस जारी फंड के '75% उपयोग की शर्त' यह सुनिश्चित करेगी कि **फंड का वास्तविक उपयोग हो, न कि केवल उसे जमा रखा जाए।**
- **जवाबदेही बढ़ाना:** नया फंड जारी करने से पहले, **पूर्व में जारी फंड के समुचित उपयोग की शर्त** वास्तव में **कार्यान्वयन एजेंसियों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित** करेगी।

केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य उपाय

- **लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का उपयोग अनिवार्य किया गया है:** इसका उद्देश्य जारी फंड की निगरानी करना और रियल टाइम आधार पर ट्रैकिंग करना तथा अप्रयुक्त राशि पर नियंत्रण रखना है।
- **'सनसेट' क्लॉज का प्रावधान:** 2017 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी योजनाओं के लिए **'सनसेट' क्लॉज और योजना के आउटकम की समीक्षा अनिवार्य** कर दी थी।
  - इन प्रावधानों का उद्देश्य **योजनाओं के क्रियान्वयन को केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों के चक्र के अनुरूप** रखना है। इन योजनाओं की अवधि **वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ समाप्त** हो जाती है।
- **गैर-सरकारी विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल):** संसद में **"सरकारी विधायी प्रस्ताव और योजनाएं (प्रभाव विश्लेषण एवं कार्यान्वयन-पश्चात मूल्यांकन) विधेयक, 2022"** प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य विधायी व नीति निर्माण प्रक्रिया में जवाबदेही एवं संसद द्वारा निगरानी सुनिश्चित करना तथा केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को और अधिक प्रभावी बनाना है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक को मजबूत करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की घोषणा की

यह घोषणा **एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन** के दौरान की गई है। इसमें किसान रजिस्ट्रियों और कानूनी उत्तराधिकारी प्रणालियों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के बारे में

- यह मिशन **2024 में शुरू** किया गया था। इसका उद्देश्य **किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों के लिए एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्टम बनाना तथा समय पर एवं विश्वसनीय फसल-संबंधी जानकारी उपलब्ध** कराना है।
- इसके अंतर्गत कृषि के लिए **डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)** जैसे- एग्री स्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्र, आदि के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

एग्री स्टैक के बारे में

- किसानों को **आधार कार्ड के समान एक डिजिटल पहचान** दी जाएगी, जो राज्य के **भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व आदि से जुड़ी** होगी। इसमें **केंद्र और राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग** सुनिश्चित करने के लिए **'संघीय संरचना'** बनाई गई है।

डिजिटल कृषि पर अन्य पहलें

- **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (2024):** यह भू-स्थानिक और गैर-भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत और मानकीकृत करती है। इसमें उपग्रह से प्राप्त, मौसम संबंधी व मृदा संबंधी डेटा भी शामिल है।
- **राष्ट्रव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना:** यह पहल **भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI)** ने शुरू की है। इसके तहत ग्राम स्तर पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है।
- **DGCES (डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण):** इसका उद्देश्य संपूर्ण सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (GCES) प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और स्वचालित करना है।

सम्मेलन के अन्य प्रमुख परिणामों पर एक नजर

- **समझौता ज्ञापन (MoUs):** महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा राज्यों के साथ समझौते किए गए। **राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति (NFWPIS)** के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने गठबंधन बनाया। इसका उद्देश्य किसानों को **डिजिटल माध्यम से ऋण सेवाओं** तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।
- **डिजिटली वेरिफिएबल क्रेडेंशियल (DVC) या किसान पहचान-पत्र:** इसे **डिजिलॉकर** के साथ जोड़ा गया है। यह **भूमि के विशेष खंडों और फसलों के लिए प्रमाणिक पहचान-पत्र** तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा।

एग्री स्टैक के तहत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस

किसान रजिस्ट्री: ये राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई और संचालित की जाती है। ये किसानों से संबंधित **व्यापक और उपयोगी जानकारी** प्रदान करती हैं।

भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र: इनका **डिजिटल फसल सर्वेक्षण** के लिए उपयोग किया जाता है। ये **खेत के स्तर पर सटीक डेटा संग्रह और भू-खंड स्तर पर डेटा बिंदुओं का मानचित्रण** करने में मदद करते हैं।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) के माध्यम से बोई गई फसल रजिस्ट्री (DCS): यह **गिरदावरी जैसी पारंपरिक विधियों** की जगह लेती है। इसमें **मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से सीधे खेत से फसल की जानकारी** एकत्र की जाती है।

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान है, लेकिन वे उनसे खुद को जोड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं

हालिया **जनसांख्यिकीय बदलाव और परिवार की संरचना में परिवर्तन** की वजह से अलग-अलग **पीढ़ियों के संबंध भी बदल** गए हैं। इस **बदलाव की वजह से बुजुर्ग खुद को उपेक्षित** महसूस करते हैं और **युवा अलग-अलग अपेक्षाओं के कारण मुश्किलों का सामना** करते हैं।

- उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने के लिए दोनों पीढ़ियों के बीच यानी अंतरपीढ़ीगत **प्रभावी संवाद** आवश्यक हो जाता है।

अंतरपीढ़ीगत संवाद में बाधक तत्व

- **जनरेशन गैप परसेप्शन इंडेक्स:** इस इंडेक्स के अनुसार **दो पीढ़ियों में अंतर केवल उम्र से नहीं बल्कि शिक्षा, निर्भरता और भावनात्मक दूरी** से भी आता है।
- **पीढ़ियों के बीच में संवाद में बाधक कारक:** 76% बुजुर्ग और 74% **युवा मानते हैं कि युवाओं की व्यस्त दिनचर्या सबसे बड़ी बाधा** है।
- **संवाद सहजता की सीमा:** यह अलग-अलग विषयों और अलग-अलग रिश्तों पर निर्भर करती है। **"जीवन जीने से जुड़ी सलाह"** जैसे विषयों पर **दोनों पीढ़ियों के बीच तुलनात्मक रूप से सहज रूप** से वार्ता होती है, लेकिन **"करियर या शिक्षा की योजनाएं" सबसे असहज** संवाद मानी जाती हैं।

दो पीढ़ियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें

- **बुजुर्गों की संवेदनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना:** स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में इस विषय को शामिल करना चाहिए, ताकि **युवाओं में अपने बुजुर्गों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति विकसित** हो सके।
- **युवाओं के नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना:** **"डिजिटल बडी"** कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके तहत तकनीकी रूप से कुशल युवा, बुजुर्गों को धैर्यपूर्वक डिजिटल डिवाइस का उपयोग करना सिखाएंगे।
- **समुदाय द्वारा संचालित वृद्धजन सहायता केंद्रों की स्थापना:** इन केंद्रों में वृद्धजनों को देखभाल की सभी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इनमें भावनात्मक सलाह, आदि भी शामिल होनी चाहिए।
- **अलग-अलग पीढ़ियों के बीच मिलन कार्यक्रम संचालित करना:** जैसे **"विज़डम एक्सचेंज"** के तहत बुजुर्ग अपने पारंपरिक कौशल साझा करते हैं और युवा इन **बुजुर्गों को आधुनिक ज्ञानों से अवगत** कराते हैं।

अलग-अलग विषयों पर युवाओं और बुजुर्गों की अलग-अलग सोच

विषय	युवाओं की सोच	बुजुर्गों की सोच
धारणा के स्तर पर भिन्न सोच	वे बुजुर्गों को **बुद्धिमता से जोड़कर** देखते हैं।	भावनात्मक रूप से **खुद को उपेक्षित और आजादी में कमी महसूस** करते हैं।
डिजिटल डिवाइड	बुजुर्ग **डिजिटल डिवाइस चलाना सीखने में रुचि नहीं** रखते।	युवाओं में **धैर्य की कमी** है और वे किसी विषय के बारे में **जल्दबाजी में व्याख्या** प्रस्तुत कर देते हैं।
पारिवारिक बनाम पेशेवर तरीके से देखभाल	युवा अपने बुजुर्ग माता-पिता की खुद से देखभाल करने की बजाय किसी **पेशेवर को इसके लिए कार्य पर रखना** पसंद करते हैं।	वे बुढ़ापे में **अपने परिवार के साथ जीवन जीना पसंद** करते हैं।
बढ़ती आयु में आकांक्षाएँ	परिवार या सेवानिवृत्त समुदायों के निकट **स्वतंत्र जीवनयापन**	वृद्धावस्था में **परिवार आधारित जीवनयापन**

रियासी (जम्मू-कश्मीर) में वनाग्नि की भीषण घटना घटी

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में NH-144A के पास सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि वनाग्नि की चपेट में आ गई। घटना के बाद वन अधिकारियों तथा आपातकालीन सेवाओं द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई।

वनाग्नि के बारे में

- जंगल या उसके किसी भाग में **अनियंत्रित तरीके से आग** लग जाती है, तो उसे वनाग्नि कहा जाता है। वन क्षेत्रों में यह आग वनस्पति के माध्यम से तेजी से फैलती है। इस वजह से पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है।
- **वनाग्नि के कारण:**
  - **प्राकृतिक कारण:** बिजली गिरने तथा लंबे समय तक सूखा पड़ने की वजह से वनस्पति सूख जाती है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है आदि।
  - **मानवजनित कारण:**
    - **झूम कृषि:** झूम कृषि जैसी पारंपरिक **"काटो और जलाओ" कृषि प्रथाएं**।
    - **लापरवाही:** जलती हुई सिगरेट फेंकना, कैंपिंग के दौरान बिना बुझी आग छोड़ देना आदि।
    - **जलवायु परिवर्तन:** मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सूखा पड़ना, हीटवेव्स की **आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में वृद्धि** होना, आदि।

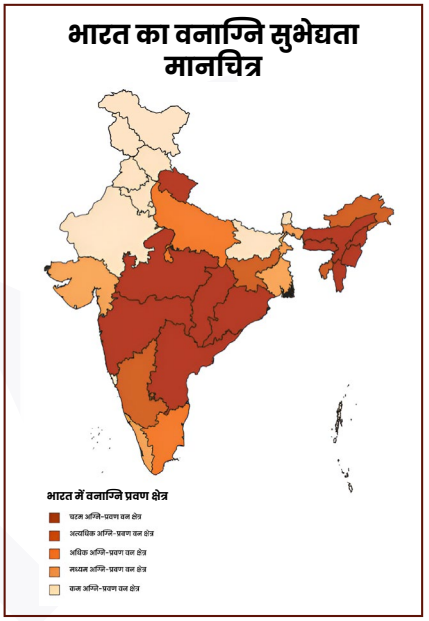

वनाग्नि की रोकथाम और शमन के लिए मौजूदा उपाय

- **वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना (FPMFS):** यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित एक योजना है। यह राज्यों को **वनाग्नि की रोकथाम, तैयारी और प्रबंधन** में सहायता प्रदान करती है।
- **वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना:** इसका उद्देश्य **समुदाय की भागीदारी और प्रौद्योगिकी के उपयोग** के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं को कम करना है।
- **वन सर्वेक्षण इंडिया (FSI) का फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम (FIRE 2.0):** इसके तहत आरंभिक चेतावनी जारी करने के लिए MODIS (**मॉडरेट रेज़ोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर**) और SNPP-VIIRS (**विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट**) उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है।

अन्य सुर्ख़ियां

एविलिस्ट (AviList)

पक्षियों के प्रभावी संरक्षण में सहायता के लिए पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट, एविलिस्ट लाइव हो गई है।

- यह **अंतर्राष्ट्रीय पक्षीविज्ञान समिति (आईओसी) और क्लेमेंट्स सूचियों** की जगह लेगी। इसे सालाना अपडेट किया जाएगा।

एविलिस्ट (AviList) के बारे में

- यह विश्व के पक्षियों का **सबसे वर्तमान और प्रामाणिक वर्गीकरण** प्रदान करेगा।
- यह एक सहयोगात्मक वैश्विक प्रयास है। इसमें **बर्डलाइफ इंटरनेशनल, कॉर्नेल लैब ऑफ़ ऑर्निथोलॉजी, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट्स सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यूनियन और एवीबेस** के प्रतिनिधि शामिल थे।
- इसमें **11,131 प्रजातियां, 19,879 उप-प्रजातियां, 2,376 वंश (Genera), 252 कुल और 46 गण (Order)** शामिल हैं।

शिपकी-ला

हाल ही में, **हिमाचल प्रदेश** सरकार ने शिपकी-ला में बॉर्डर टूरिज्म गतिविधियां शुरू की।

शिपकी-ला के बारे में

- **ऊंचाई:** भारत-तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में) सीमा पर **3,930 मीटर** की ऊंचाई पर है।
- **स्थान:** किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश।
  - यह एक **पहाड़ी दर्रा और एक सीमा चौकी** है।
- **नदी:** सतलज इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी **मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती** है।
- **महत्त्व:** प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित होने के कारण सदियों से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है।
  - इसे **2020 में कोविड महामारी के बाद** बंद कर दिया गया था।

स्टैटिन

एक नए अध्ययन में **सेप्सिस के मरीजों में मृत्यु दर कम करने में स्टेटिन की भूमिका** पाई गई।

- सेप्सिस को पहले "**ब्लड पॉइजनिंग**" कहा जाता था। यह एक **जानलेवा स्थिति** है। इसमें शरीर की **प्रतिरक्षा प्रणाली** किसी संक्रमण के प्रति **जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया** देती है। इस वजह से शरीर में **तीव्र सूजन** हो जाती है।

स्टैटिन के बारे में

- यह एक प्रकार की **दवाओं का समूह** है, जो मुख्यतः **हृदय रोगों के इलाज** में प्रयुक्त होती हैं। यह रक्त में **LDL (लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन)/ खराब कोलेस्ट्रॉल** को कम करने में मदद करता है।
- इसमें **सूजन-रोधी, प्रतिरक्षा नियंत्रक (इम्यूनोमॉड्यूलेटरी), एंटीऑक्सीडेंट और शरीर के भीतर खून के थक्के बनने से रोकने वाली क्षमता (एंटीथ्रॉम्बोटिक)** होती है।
- यह **अत्यधिक सूजन को कम करने, एंडोथेलियल फंक्शन को सुधारने, और संभावित रोगाणुरोधी** प्रभाव दिखाने में सहायक होता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य

हाल ही में, इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से **सामरिक व रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य** के माध्यम से होने वाले **समुद्री व्यापार** के समक्ष खतरा पैदा हो गया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में

- यह **ओमान** और **ईरान** के बीच अवस्थित है।
- यह **फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर** से जोड़ता है।
- यह **दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है**- वैश्विक पेट्रोलियम तरल पदार्थों की खपत का लगभग 21% हिस्सा यहीं से गुजरता है।
- **सीमावर्ती राष्ट्र**
  - **उत्तर:** ईरान से घिरा हुआ।
  - **दक्षिण:** संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप से घिरा हुआ।

ब्लैक बॉक्स

विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) ने एयर इंडिया के **बोइंग 787** विमान के मलबे से **ब्लैक बॉक्स** बरामद कर लिया है।

ब्लैक बॉक्स के बारे में

- इसमें दो **महत्वपूर्ण फ्लाइट रिकॉर्डिंग डिवाइस** होते हैं:
  - **फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर:** यह उड़ान के दौरान विमान की **गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति** जैसे महत्वपूर्ण डेटा को रिकॉर्ड करता है।
  - **कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर: पायलेट्स के बीच बातचीत, अलार्म, और कॉकपिट की पृष्ठभूमि की आवाजें** रिकॉर्ड करता है।
- **उद्देश्य:** विमान की उड़ान के दौरान और **दुर्घटना के समय की महत्वपूर्ण जानकारी** को रिकॉर्ड करना।
- **रंग:** यह **चमकीले नारंगी** रंग का होता है, ताकि दुर्घटना के बाद आसानी से दिखाई दे सके।
- **सामग्री:** इसे **मजबूत धातुओं (जैसे स्टील या टाइटेनियम)** से बनाया जाता है और यह **अत्यधिक गर्मी या ठंड** से सुरक्षित रहता है।
- **स्थान:** इसे विमान के **पिछले हिस्से** में रखा जाता है, क्योंकि वहां दुर्घटना का प्रभाव सबसे कम होता है।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) **क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के माध्यम से कर चोरी और अघोषित आय के शोधन** (Laundering) की जांच कर रहा है।

- VDAs वे **डिजिटल परिसंपत्तियां हैं, जो लेन-देन के लिए ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफिक तकनीक** का उपयोग करती हैं।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के लिए कराधान संबंधी प्रावधान

- **CBDT का NUDGE (नॉन-इन्ट्रूसिव यूसेज ऑफ़ डेटा टू गाइड एंड इनेबल) दृष्टिकोण:** यह "पहले विश्वास" (Trust First) की नीति पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि लोग स्वेच्छा से टैक्स विवरण दें और अगर VDA (जैसे क्रिप्टोकरेंसी) से होने वाली आय सही ढंग से घोषित नहीं की गई है, तो उसे अपडेट करें और सही जानकारी दें।
- **लागू कर दरें (वित्त अधिनियम 2022 के अनुसार)**
  - VDAs लाभ पर **फ्लैट 30% टैक्स**।
  - निवासियों को **VDAs के अंतरण पर 1% TDS**।

महिला राजनीतिक नेतृत्वकर्ता 2025

यूएन वीमेन (UN Women) की एक नई फैक्टशीट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर **राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं से महिलाएं हटती** जा रही हैं।

फैक्टशीट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **एक प्रमुख के रूप में महिला:** केवल 25 देशों में ही महिलाएं शीर्ष नेतृत्व की किसी भूमिका में हैं।
- **वैश्विक स्थिति:** दुनिया भर में केवल 22.9% कैबिनेट मंत्री महिलाएं हैं।
- **भारत की स्थिति:** कैबिनेट मंत्री पदों पर महिलाओं की संख्या के मामले में भारत 181 देशों में 174वें स्थान पर है। यहां राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 5.6% है - जो दुनिया में सबसे कम है।
- **पोर्टफोलियो के बंटवारे में भेदभाव:** महिलाओं को ज्यादातर सामाजिक क्षेत्रों जैसे परिवार और बच्चों से जुड़े पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, जबकि पुरुषों को आर्थिक एवं रणनीतिक विभागों जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए जाते हैं।

विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुई एयर इंडिया फ्लाइट की दुर्घटना की जांच **विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)** कर रहा है।

विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)

- AAIB की स्थापना **2012 में नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय** के रूप में की गई थी।
- यह **1944 के अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेंशन के एनेक्स 13** के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है।
- **कार्य**
  - यह **विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017** के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोर्ट या जांच अधिकारियों को जांच एवं प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है।
  - **2250 किलोग्राम से अधिक वजन वाले विमान (आल-अप वेट- AUW) या टर्बोजेट विमान से** जुड़ी सभी दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच AAIB द्वारा की जाती है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

राम प्रसाद बिस्मिल (1897 - 1927)

प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी **जयंती (11 जून)** पर देशवासियों ने याद किया।

राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में

- उनका जन्म **शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)** में हुआ था। वे बचपन से ही **आर्य समाज के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित** थे।

मुख्य योगदान

- **क्रांतिकारी गतिविधियां: 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र** के माध्यम से लोगों की नजर में आए। इसमें उन्होंने **राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए प्रतिबंधित किताबों का वितरण** किया था।
- **HRA की स्थापना: 1924** में, उन्होंने **सचिन्द्रनाथ सान्याल और अन्य के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)** की सह-स्थापना की थी। बाद में इसे **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** नाम दिया गया था।
- **काकोरी षड्यंत्र (1925):** राम प्रसाद बिस्मिल **काकोरी ट्रेन डकैती** के सूत्रधार थे।
- **जेल विरोध:** जेल में रहते हुए, बिस्मिल और उनके साथियों ने उन्हें राजनीतिक कैदियों के रूप में मानने तथा जेल की कठोर परिस्थितियों का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की थी।
- **साहित्यिक कार्य:** उन्होंने **बिस्मिल, राम और अज्ञात उपनामों** से हिंदी एवं उर्दू में देशभक्ति कविताओं की रचना की थी।
- **शहादत:** काकोरी मामले में एक विवादास्पद मुकदमे के बाद उन्हें **19 दिसंबर, 1927** को फांसी दे दी गई थी।